यह निरीक्षण प्रतिवेदन, निदेशक कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा के माह 12/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय त्यागी ,श्री संदीप कुमार गर्ग, श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04/10/2018 से 11/10/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1- **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मुकेश कुमार, श्री योगेश त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21-12-2016 से 31-12-2016 तक श्री सुनील कल्ला वरि**0** लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गई थी जिसमे माह 10/2015 से 11/2016 तक लेखा अभिलेखो की जांच की गई **|** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** छात्र / छात्राओ को चार/दो वर्षीय डिग्री हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाता। जो जनपद-अल्मोड़ा से 75 Km की दूरी पर स्थित है।

3- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र॰सं॰	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
		प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	-	-
1	2015-16	-	6.21	6.21	-	2.77	2.77	-	-
3	2016-17	-	6.**25**	6.25	-	2.73	2.73	-	-
4	2017-18	-	8.12	8.12	-	1.88	1.88	-	-
5	2018-19 (09/18 तक)	-	12.00	3.91	-	1.71	1.71		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष				प्राप्त धनराशि			
	HEAD OF ACCOUNT	BUDGET PROVISION	प्रा॰ शेष	आवंटन	व्यय	बचत	PLA/ BANK
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (09/18 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) इकाई को बजट का(स्थापना/गैर स्थापना) आवंटन स्रोत, राज्य सरकार है। इकाई की श्रेणी "बी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

BOG
↓
DIRECTOR
↓
RAGISTRAR
↓
FINANCE OFFICER
↓
STAFF

(**III) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में निदेशक कुमाऊँ इंजी0 कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक कुमाऊँ इंजी0कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2016, एवं 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -II ब</u>

प्रस्तर:1- **धनराशि ₹ 13.54 लाख का समायोजन न होना**|

कार्यालय निदेशक कुमाऊ इंजी0 कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि कुमाऊ इंजी0 कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा द्वारा निंम्नलिखित अधिकारियों /कर्मचारियो को अग्रिम के रूप मे धनराशि वितरित की गई है जिसका लेखा परीक्षा अवधि तक उक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न है|

S.N	Particular	Opening Balance	Advance	Adjustment	Closing Balance
1-	Amit Mohan	33680	-	-	33680
2-	Anirudh Gupta	19957	97500	110000	7457
3-	B.K.Singh	192072	-	165000	27072
4-	C.M SINGH	5500	-	-	5500
5-	Dr.Ajit Singh	32500	-	-	32500
6-	Dr.Arvind Bhatt	2500	35000	35102	2398
7-	Dr.Jyoti Saxena	4500	43000	43000	4500
8-	Dr.K.S Vaisla	175970	-	153473	22497
9-	Dr N.N.Khan	26701	-	-	26701
10-	Dr.R.K.Pendey	9500	-	-	9500
11-	Dr.S.C.Sarkar	5005	146980	146980	5005
12-	Gopal Singh Rana	5000	-	-	5000
13-	G S Panth	4500	-	-	4500
14-	H.C.Panth	18023	-	-	18023
15-	Kundan Singh	1000	-	-	1000
16-	LalitPanth	2000	-	-	2000
17-	Manoj Kumar Arya	1000	-	--	1000
18-	M.C.Pandey	14700	-	-	14700
19-	Mr.HarakSinghMali	3000	-	-	3000
20-	Mr.LalitGaria	995	82500	75000	8495
21-	Mr.Navin Chandra	1700	2000	2000	1700
23-	R.N Penday	-	10000	-	10000
24-	Mrs.Rachana Arya	-	45000	35000	10000
25-	Umes Chandra Rai	10000	35000	35000	10000
26-	Mr.Varun Kumar Kakar	20000	140000	155000	5000
27-	Narayan	1000	-	-	1000
28-	PCS Bist	1000	-	-	1000
29-	Rajeev Agarwal	7321	-	-	7321

30-	Rajeev Updhyay	12861	-	-	12861
31-	Ravi Kumar	2482	-	-	2482
32-	R.K.Bharti	1000	-	-	1000
33-	Sh.C.K.Soni	4499	-	-	4499.60
34-	Sh.Haish Chand Arya	50500	-	-	50500
35-	Sh.Kundan Singh G.h	11000	-	-	11000
36-	Surbh Gupta	7000	-	-	7000
37-	UC Sharma	2000	-	-	2000
38-	Y.K Tyagi	11500	-	-	115000
योग					**383347/-**

(ब)

क्रम संख्या	योजना का नाम	**अधिकारियो/कर्मचारियो के नाम**	अग्रिम भुगतान की दिनाक/वर्ष	अग्रिम की धनराशि मे (र)	अग्रिम की धनराशिमे (र) समायोजन की तिथि
01	TEQUIP PHASE- II	डॉ अजित सिंह	15/12/10/16-2015	15000.00	-
02	-	श्री सी.के. सोनी	16/01/07/16-2015	50000.00	-
03	-	श्री सीसोनी 0के 0	16/02/03/16-2015	50000.00	-
04	-	डॉ अजित सिंह	16/09/12/17-2016	50000.00	17/07/04
05	-	डॉ अजित सिंह	17/03/31/17-2016	25000.00	17/07/04
06	-	डॉ अनिरुद्ध गुप्ता	17/03/06/17-2016	150000.00	17/06/30
07	-	डॉ ज्योति सक्सेना	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
08	-	डॉ लता बिस्ट	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
09	-	मिस पारुल कंसल	17/01/20/17-2016	15000.00	17/06/30
10	-	Ms विजया bhikari	17/01/20/17-2016	25000.00	17/06/30
11	-	Ms विजया bhikari	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
12	-	Mr अमित मोहन	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
13	-	Mr अमित पारुल	17/03/06/17-2016	150000.00	17/06/30
14	-	Mr रवि कुमार	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
15	-	Mr रवीद्र प्रताप सिंह	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
16	-	Ms रेनू सिन्हा	17/03/15/17-2016	35000.00	17/06/30
17	-	Ms स्वेता रावत	17/01/20/17-2016	15000	17/06/30
18	TEQUIP PHASE- III	-	18/01/09/18-2017	40000.00	-
19	-	डॉ अजित सिंह	18/01/30/18-2017	18000.00	18/04/26
20	-	डॉ अजित सिंह	18/01/30/18-2017	35000.00	18/04/26

21	-	श्री शक्ति कटियार	18/02/20/18-2017	8000.00	18/04/13
22	-	श्री वरुण सरकार	18/02/22/18-2017	10000.00	18/05/04
23	-	श्री विशाल कुमार	0318/14/18-2017	6000.00	18/04/13
24	-	श्री राम नायक पांडे	0318/14/18-2017	5000.00	18/04/13
25	-	श्री विशाल कुमार	0318/17/18-2017	7000.00	18/04/26
26	-	Mr अमित मोहन	0318/17/18-2017	30000.00	18/04/11
27	-	Mr अमित मोहन	0318/17/18-2017	3500.00	18/04/11
28	-	श्री सुभाष चन्द्र सरकार	0318/21/18-2017	6000.00	18/05/09
29	-	श्री राम नायक पांडे	0318/17/18-2017	12000.00	18/04/26
			योग	.Rs 970500.00	

इस प्रकार संस्थान द्वारा कार्यरत कर्मचारियो को कुल धनराशि ₹ 383347/-वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक अग्रिम के रूप मे वितरित की गई तथा रु. 9.70 लाख की धनराशि विभिन्न Profession को अग्रिम (Assets) के रुप में दी गयी है। वित्तीय नियमावली खंड -5 के नियम 162 (7) के अनुसार अग्रिम धनराशि का समायोजन एक माह के अन्दर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हो जाना चाहिये था| जो संप्रेक्षा अबधि तक नहीं किया जा सका| सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि अग्रिम धनराशि का समायोजन की कार्यवाही पूर्व मे प्रचलित थी जिससे कुछ धनराशि का समायोजन किया जा चुका है शेष समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है समायोजन के उपरान्त आपके कार्यालय को प्रेषीत कर दी जाएगी| विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा दिये गए अग्रिम के समायोजन हेतु अभी तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये थे|

अत: धनराशि ₹ 1353847 का समायोजन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है|

भाग (ब) 2-

प्रस्तरः-2- आउटसोर्स सुरक्षा स्टाफ एवं सर्विस प्रोवाइडर फ़र्मों का अनुबन्ध वर्ष 2009 एवं 2012 से निरंतर बढ़ाया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय -1 के बिन्दु 12 के अनुसार, " The Department should ensure placement of contract within the original validity of the bids. Extension of bid validity must be discouraged and resorted to only in exceptional circumstances" एवं अध्याय -7 के बिन्दु 75 के अनुसार, "The Competent Authority should prepare on annual basis a procurement plan based on a forecast of future requirement of goods, services and works."

निदेशक, कुमायूं प्रोद्योगिकी संस्थान द्वारहाट, अल्मोड़ा कार्यालय की निविदा पत्रावली एवं संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था के लिये निविदाये वित्तीय वर्ष 2009-10 मे आमंत्रित करके मै॰ कुमायूँ इंजी॰ का॰ भूमि अध्यापित सुरक्षा समिति, द्वारहाट, अल्मोड़ा को संस्थान की सुरक्षा के लिए अनुबंधित किया गया था एवं जुलाई 2009 से लेखा परीक्षा तिथि तक लगातार यही फर्म संस्थान की सुरक्षा कार्य कर रही थी, इसी प्रकार, संस्थान के विभिन्न कार्यो के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के लिए मै॰ सिंह इंटरप्राइजेज़, किच्छा, उ॰सि॰नगर को वर्ष 2012-13 मे अनुबंधित किया गया था एवं सितम्बर 2012 से यही फर्म वर्तमान अवधि तक संस्थान मे आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती हेतु अनुबंधित थी। उपरोक्त दोनों ही फ़र्मों का अनुबन्ध बिना निविदा आमंत्रित किये ही प्रति वर्ष बढ़ाया जा रहा था ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 59 (1) के अनुसार, " When the estimated cost is above Rs.25.00 lakh the Department/Competent Authority shall obtain the concurrence of Finance Department before starting the selection process." परंतु अभिलेखों की जाँच मे प्रतिवर्ष उपरोक्त फ़र्मों की अनुबन्ध की अवधि बढ़ाये जाने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किये जाने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। जबकि संस्थान की सुरक्षा मे अनुबंधित फर्म को वितीय वर्ष 2011-12 से तथा आउटसोर्स कर्मचरियों के लिए अनुबंधित फर्म को वितीय वर्ष 2013-14 से निरन्तर भुगतान की गयी धनराशि ` 25.00 लाख से अधिक थी । विवरण निम्नलिखित है :-

Sl. no.	Financial year	Name of Outsource Agency	Expenditure on outsource staff (in `)
.1	2009-10 (From July2009)	मै॰ कु॰ इंजी॰ का॰ भूमि अध्यापित सुरक्षा समिति, द्वारहाट, अल्मोड़ा	10,63,709
.2	11-2010	-उपरोक्त-	23,13,686
.3	2011-12	-उपरोक्त-	29,88,438
.4	2012-13	-उपरोक्त-	36,92,320
.5	2013-14	-उपरोक्त-	59,41,289
.6	2014-15	-उपरोक्त-	56,59,902
.7	2015-16	-उपरोक्त-	58,46,501
.8	2016-17	-उपरोक्त-	60,34,905
.9	2017-18	-उपरोक्त-	54,74,198

.10	2018-19 (upto September 2018)	-उपरोक्त-	30,42,240
		Total	**4,20,57,188**
.11	2012-13 (From Sept2012)	मै॰ सिंह इंटरप्राइजेज़, किच्छा, उ॰सि॰नगर	18,63,894
.12	2013-14	-उपरोक्त-	42,01,523
.13	2014-15	-उपरोक्त-	46,82,422
.14	2015-16	-उपरोक्त-	55,82,585
.15	2016-17	-उपरोक्त-	58,87,065
.16	2017-18	-उपरोक्त-	73,71,052
.17	2018-19 (upto September 2018)	-उपरोक्त-	32,71,600
		Total	**3,28,60,141**
		Grand Total	**7,49,17,329**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया कि वर्ष 2012,मे निविदाए आमंत्रित की गयी थी 2018 एवं 2017 , परंतु उपयुक्त संख्या मे निविदाये प्राप्त न होने के कारण किसी अन्य फर्म का चयन नहीं किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योकि वर्ष की अवधि मे 2017 से वर्ष 2012संस्थान द्वारा बिना निविदा आमंत्रित किए ही प्रतिवर्ष उक्त फर्मो की अनुबन्ध अवधि को बढ़ाकर फर्मो को भुगतान किया गया। वर्ष मे 18-2017 केवल एक बार ही निविदा आमंत्रित की गयी थी, परंतु उपयुक्त फर्मो का चयन न होने से उक्त फर्मो की अनुबन्ध अवधि को बारबार बढ़ाया जा-ता रहा। पुन निविदाये आमंत्रित करने का प्रयास नहीं : किया गया । इसके अतिरिक्त,संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के बिन्दु 2008 (1)59का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अत प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है । :

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- निर्माण एजेंसी को लेबर सेस के रूप में अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप संस्थान को हानि ₹ 1.76 लाख

The Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 is complementary to the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 which has been enacted with a view to provide for levy and collection of Cess on the cost of construction incurred by the employers for augmenting resources for various welfare measures and schemes to be operated by the Building and other construction Workers' Welfare Board constituted by the State Government under the Building & Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996. Deduction of Cess at Source; **Where the levy of Cess pertains to building & construction work of a Govt. or of a public sector undertaking, such Govt, or public sector undertaking shall deduct the Cess payable at notified rate from the bills paid for such works.**

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. अल्मोड़ा, निर्माण एजेंसी द्वारा इकाई के 78 बैडेड पिछड़ी जातियों की छात्राओं के छात्रावास का निर्माण कार्य निष्पादित किए जाने हेतु कार्य की अनुमानित लागत ₹ 200.60 लाख का विस्तृत प्रारम्भिक आगणन (डी.पी.अर.) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रोध्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) द्वारा प्रदान की गई । इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. अल्मोड़ा, निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार किए गए प्राक्लन में लेबर सेस 1% की दर से ₹ 1.98 लाख जोड़ा गया था जवकि लेबर सेस की कटौती निष्पादित निर्माण कार्यों के भुगतान किए जाने वाले देयकों से की जानी थी। तदनुसार ₹ 1.98 लाख की धनराशि प्राक्लन में जोड़कर लेबर सेस के रूप में, **निर्माण एजेंसी / ठेकदार को अदेय लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप संस्थान को इतनी ही राशि की हानि हुई** ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासन द्वारा आगणन पास किया जाता है एवं TAC भी शासन द्वारा की जाती है । संबन्धित निर्माण एजेंसी को पत्र निर्गत कर दिया गया है इस संबंध में उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि 78 बैडेड पिछड़ी जातियों की छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य का आगणन संस्थान द्वारा ही अनुमोदित किया गया था और निर्माण इकाई द्वारा प्राक्लन में शामिल की गईं अनुचित मदों को आगणन से नहीं हटाया गया जो संस्थान का ही उत्तरदायित्व था। परंतु प्राक्लन में शामिल की गईं अनुचित मद (लेबर सेस 1%) की आगणित धनराशि को शामिल करते हुये संस्थान द्वारा निर्माण कार्य पर ₹ 176.64 लाख का भुगतान किया गया था । अतः ₹ 176.64 लाख की धनराशि पर लेबर सेस 1% की दर से ₹ 176640 का भुगतान लेबर सेस के रूप में किए जाने के परिणामस्वरूप संस्थान को इतनी ही धनराशि की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर - 05 : TEQUIP PHASE -II योजना की राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त व्याज ₹ 272536.00 को अनियमित रूप से बचत खाते मे रखना एवं संप्रेक्षा तिथि-(10/2018 तक) राजस्व खाते मे जमा न करना ।

कार्यालय निदेशक कुमायू इंजीन्यरिंग कॉलेज द्वारहाट (अल्मोड़ा) की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा TEQUIP PHASE -II योजना की धनराशि जो 90% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थी एवं राज्य share की (10%) धनराशि थी ।,उक्त राज्य share की (10%) धनराशि से प्राप्त व्याज र 272536.00 को बचत खाते मे रखी गयी थी जिस पर निम्न वर्षो मे इकाई द्वारा व्याज प्राप्त किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रमसंख्या	**योजना का नाम**	**वर्ष**	**व्याज की धनराशि(र)**	**बैंक खाते का नामखाता / संख्या**	***मद का नाम***
01	TEQUIP PHASE -II	16-2015	140815.00	SBI KEC BRANCH DWARHAT(ALMORA 3230023231327/(	*-0049व्याज प्राप्ति*
02	-	17-2016	122945.80	-	*-0049व्याज प्राप्ति*
03	-	18-2017 (17/07)तक	8775.70	-	*-0049व्याज प्राप्ति*
		योग	₹ 272536.50		

उक्त प्रकरण मे कॉलेज द्वारा TEQUIP PHASE -II योजना की राज्य share की (10%) धनराशि को रखने हेतु न तो शासन से बचत खाते मे रखने हेतु अनुमति प्राप्त की 03 वर्षो मे अर्जित व्याज को राज्य सरकार के व्याज राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने को प्रयास किया। संप्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा' उक्त के सम्बंध मे तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया कि उक्त राज्य share की (10%) धनराशि र 272536.50 को अविलम्ब राज्य सरकार के व्याज राजस्व खाते -0049 मे जमा कराया जाएगा। विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा बचत खाते मे योजना की धनराशि को रखने के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1- कॉलेज द्वारा TEQUIP PHASE -II & TEQUIP PHASE -III योजना से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) के ₹ 2.67 करोड़ के बिल/वाउचर के भुगतान के सापेक्ष ₹ 53400.00 की 2% TDS कटौती नहीं किए जाने के संबंध में।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-05 के भाग-एक के परिशिष्ट -25 मे स्पस्ट प्रविधान है कि यदि भुगतान किसी आपूर्तिकरता(suppliers)को किया जाता है तो निर्धारित दर पर उनके बिल के भुगतान के सापेक्ष 2% TDS कटौती अनिवार्य है। कार्यालय निदेशक कुमाऊँ इंजीन्यरिंग कॉलेज द्वारहाट (अल्मोडा) द्वारा संचलित TEQUIP PHASE -II & TEQUIP PHASE -III योजना के अंतर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं (suppliers) उनके द्वारा किए निम्न बिल/वाउचर के सापेक्ष TDS कटौती नहीं की गयी थी। विवरण निम्नवत है -

योजना का नाम	**Billno**	**Dinak**	**Amount**	**Trader/Supplier का नाम**
TEQUIP PHASE– II	**2285**	**14/02/23**	**3383299.00**	**Mk Traders**
TEQUIP PHASE– III	**-154G/2017-18**	**18/02/06**	**1758950.00**	**Tredent Techlabscript**
TEQUIP PHASE– III	**319**	**18/06/09**	**179656.00**	**LIPI entriprises**
TEQUIP PHASE– III	**26**	**18/03/15**	**200977.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**19**	**18/03/12**	**202252.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**13**	**18/02/26**	**372880.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**30**	**18/03/20**	**243080.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**40**	**18/03/22**	**219150.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**97**	**18/03/29**	**167300.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**29**	**18/03/18**	**157648.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**76**	**18/03/25**	**118944.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**109**	**18/03/31**	**232460.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**110**	**18/03/31**	**258467.00**	**LIPI Enterprises**
TEQUIP PHASE– III	**0002**	**18/06/22**	**1188939.00**	**EDUDSGI solution**
TEQUIP PHASE– III	**110**	**18/03/13**	**274291.00**	**m/s primus सिस्टम**
TEQUIP PHASE– III	**18**	**18/03/09**	**1344000.00**	**LIPI Enterprises**

TEQUIP PHASE– III	**092**	**17/12/08**	**473600.00**	**Advanced technology**
TEQUIP PHASE– III	**088**	**17/12/27**	**1888000.00**	**Biotech india pvt ltd**
TEQUIP PHASE– III	**016**	**18/01/19**	**951198.00**	**Mars communitation**
TEQUIP PHASE– III	**Lc/सीबी/104-**	**17/12/16**	**1439600.00**	**Consortiumबूक pvt ltd**
TEQUIP PHASE– III	**Atipl/zk/114**	**18/02/21**	**2656888.00**	**Biotech india pvt ltd**
TEQUIP PHASE– III	**Kpc/1718/088**	**18/03/13**	**1858500.00**	**Ketik power pvt ltd**
TEQUIP PHASE– III	**4450**	**18/02/25**	**307840.00**	**Blessings**
TEQUIP PHASE- II	**083D**	**16/09/06**	**1290000.00**	**Treidential labs**
TEQUIP PHASE- II	**17-2016/083**	**16/09/06**	**1548000.00**	**Treidential labs**
TEQUIP PHASE- II	**726**	**16/09/06**	**428063.00**	**Communication**
TEQUIP PHASE- III	**132**	**18/06/14**	**1770000.00**	**Dreamz सोल्यूशंस**
TEQUIP PHASE- III	**033**	**0618/23**	**1759380.00**	**Advtechnology**
		योग	**₹26673362.00**	

इस प्रकार संस्था को ₹ 26673362.00 की उक्त धनराशि पर 2% की दर से ₹ 53400.00 की टीडीएस कटैती की जानी चाहिए थी परंतु कॉलेज द्वारा उक्त प्रकरण मे आयकर अधिनियम -1961 की धारा -194 सी का उलंघन कर उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती नहीं की थी। इस ओर सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछे जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया हैं कि उक्त टीडीएस धनराशि की कटौती के संबंध मे सभी **vendors** को पत्र भेज उनसे टीडीएस कटौती का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा तथा भविष्य मे टीडीएस कटौती की जाएगी। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा लगभग नियमो से अंजान बनते हुए उक्त टीडीएस धनराशि की कटैती नहीं की थी ।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- निर्माण एजेंसी से सेंटेज प्रभार की कटौती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संस्थान को हानि रु. 19.07 लाख।

निदेशक विपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रोद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट (ग्राहक विभाग) तथा परियोजना प्रबंधन निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम रानीखेत (निर्माण एजेंसी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन दिनांक 21 जून 2013 को, संस्थान की बारबैड वायर फेंसिंग सहित बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु गठित किया गया था जिसमे निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत प्रतिशत प्रभार (सेंटेज प्रभार) तथा समस्त अन्य प्रभार सहित रुपये 475.00 लाख थी। यह भी सहमति हो गई थी कि इस लागत में निर्माण एजेंसी को देय कुल सेंटेज प्रभार तथा अन्य प्रभार सम्मिलित थे। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार परियोजना के प्रारम्भ होने की तारीख 15.09.2013 तथा पूर्ण योजना के सौंपे जाने की तारीख 14.11.2014 विलेखित थी।

विलेख के विन्दु संख्या 16 (ii) के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कुल अवधि अथवा कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) तथा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय सेंटेज प्रभार से किया जाना उल्लेखित था।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, निर्माण एजेंसी द्वारा परियोजना पर रु. 302.70 लाख रुपये व्यय कर 3000 मीटर बाउन्ड्रीवाल निर्माण का स्ट्रक्चर कार्य दिनांक 03.03.2017 तक पूर्ण किया गया तदनुसार पूर्ण योजना के सौंपे जाने की तारीख 14.11.2014 तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया और लगभग 27 माह के विलम्ब से 5200 मीटर के सापेक्ष मात्र 3000 मीटर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर अधोमानक ही बंद कर दिया गया।

समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार 27 माह के विलम्ब के लिए निर्माण एजेंसी को देय सेंटेज प्रभार की कटौती की जानी अपेच्छित थी ।

3000 मीटर बाउन्ड्रीवाल निर्माण तथा रु. 302.70 लाख के व्यय पर निर्माण एजेंसी से सेंटेज प्रभार की कटौती का विवरण -

अवधि	**एम.ओ.यू. के अनुसार विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी से सेंटेज प्रभार की की जाने वाली कटौती**				**योग** (₹)
	0.1%	**धनराशि**	**0.25%**	**धनराशि**	
15.09.2013 से 14.11.14	--	--	--	--	--
15.11.2014 **से** 14.0**3**.15	30270000 x 0.1%	30270 x 3 माह	--	--	90810
15.03.2015 **से** 03.0**3**.1**7** Date of UC	--	--	30270000 x 0.25%	75675 x 24 **माह**	1816200
विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी से की जाने वाली कुल कटौती					1907010

परन्तु संस्थान की उदासीनता एवं लापरवाही के परिणामस्वरुप विलम्ब की स्थिति में रुपये 1907010 की सेंटेज प्रभार की कटौती निर्माण एजेंसी से नहीं की गई । परिणामस्वरुप संस्थान को रु. 1907010 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि शासन द्वारा आगणन पास किया जाता है एवं TAC भी शासन द्वारा की जाती है । संबन्धित निर्माण एजेंसी को पत्र निर्गत कर दिया गया है इस संबंध में उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संस्थान द्वारा बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के विन्दु संख्या 16 (ii) के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कुल अवधि अथवा कार्य की प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) तथा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेंसी को देय सेंटेज प्रभार से किया जाना उल्लेखित था । परंतु संस्थान द्वारा उक्त समझौते की शर्तों का निर्माण एजेंसी से पालन नहीं कराये जाने के कारण रुपये 1907010 की सेंटेज प्रभार की कटौती निर्माण एजेंसी से नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संस्थान को इतनी ही धनराशि की हानि हुई। अतः सेंटेज प्रभार की कटौती निर्माण एजेंसी से नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप रुपये 1907010 की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
09-2008/12	1**,2,3,4,5,6,7**	1**,2,3,4,5,6,7,8,**	1**,2,3**
13-2012/52	1**,2,**	1**,2.3,4,**	-
15-2014/164	1	1**,2,3,4,5,6,7,8,**	1**,2,**
16-2015/221	1	**02**	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उक्त प्रस्तरो की अनुपालन आख्या उच्चाधिकार के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी (संतुति के साथ) **12/2008-09, 52/2012-13,164/2014-15,124/2016-17**				

<u>भाग-</u><u>IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक कुमाऊँ इंजी. कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**दिनांक**
1.	श्री आर.के. सिंह	निदेशक	11/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति निदेशक कुमाऊँ इंजी. कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.